तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/10/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप० । वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 13/11/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
	13/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मय आदेश की पालना में दिनांक 4/12/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
5/12/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 6-12-24 को पेश हो। [signature]
6/12/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। वादपत्र पर पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी। वाद पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: वादी वादपत्र अन्तर्गत धारा-177 RTA स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 06/12/24

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या:—53 / 2022
प्रकरण दायर दिनांक:— 11.04.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक: 06.12.2024

उनवान

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बसवा

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र जयनारायण जाति गुर्जर निवासी पीचूपाडा खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

::निर्णय::

वादी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया कि ग्राम पीचूपाडा खुर्द तहसील बसवा स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. 156 के खसरा नंबर 990 / 1302 रकबा 0.06 हैक्ट. किस्म चाही 1 मुताबिक जमाबंदी उपर्युक्त खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का पीचूपाडा खुर्द एवं भू. अ. निरीक्षक पीचूपाडा खुर्द ने दिनांक: 04.02.2022 को ग्राम पीचूपाडा खुर्द तहसील बसवा स्थित उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 990 / 1302 रकबा 0. 06 हैक्ट. में से 40X7 = 280 वर्गमीटर भूमि (दुकानों का निर्माण कर) कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है, बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त खसरा नंबर को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ (दुकानों का निर्माण कर) कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में ली जाकर कृषि भूमि का स्वरूप बिगाड दिया है। खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमों का उल्लंघन किया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खातेदार को उक्त भूमि से बेदखल कर भूमि को सिवायचक राजकीय सम्पदा घोषित करने की कृपा करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद पत्र पर पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2072—75 ग्राम पीचूपाडा खुर्द खाता सं. नया 156 पुराना 170 खसरा सं. 990 / 1302 के प्रतिवादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मुताबिक पटवारी हल्का एवं भू. अ. निरीक्षक मौका जॉच रिपोर्ट ग्राम पीचूपाडा खुर्द दिनांक: 03.02.2022 मौके पर उक्त खसरा नं. 990 / 1302 में लगभग 40X7 = 280 वर्गमीटर क्षेत्र पर उक्त खातेदार ने दुकानों का निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में कार्य लिया जा रहा है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं पटवारी हल्का एवं भू. अ. निरीक्षक मौका जॉच रिपोर्ट ग्राम पीचूपाडा खुर्द

दिनांक: 03.02.2022 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा खसरा नंबर 990 / 1302 को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ (दुकानों का निर्माण कर) कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में ली जाकर कृषि भूमि का स्वरूप बिगाड दिया है तथा खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमों का उल्लंघन किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पैरोकार सरकार बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर वादी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पीचूपाडा खुर्द स्थित भूमि खाता सं. नया 156 पुराना 170 के खसरा सं. 990 / 1302 रकबा 0.06 हैक्ट. किस्म चाही 1 को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

06/12/24

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner